

विमुद्रीकरण की पृष्ठभूमि तथा भारत के जीडीपी पर इसका प्रभाव

Dr. Lal Kumar Shah*

Gram & Post – Marukiya, Thana – Andharathadi, District-Madhubani

सार-संक्षेप - विमुद्रीकरण एक अनुठा कदम है, यह पिछली व्यवस्था से एक संरचनात्मक विलगाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसका अर्थ है कि इसके प्रभावों का पूर्वकलन कर पाना एक जोखिम भरा काम होगा। अतः आगामी चर्चा, विशेषकर परिमाण निर्धारण के प्रयासों को निश्चयत्मक नहीं, किंचित अनुमानात्मक ही मानना चाहिए। इतिहास के फैसला, जब भी वह समय के धूँ-धलके, को चीरता हुआ आएगा, आज के निष्कर्ष निदानवादों को अचंभित कर सकता है। सबसे पहले तो भारत में नकद जीडीपी अनुपात का विकास क्रम दो सोपानों में हुआ है। पहले डेढ़ दशकों में (1952-53 से 1967-68 तक) यह लगभग 12 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत के आसपास रह गया था। उसके बाद से यह अनुपात अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर के साथ-साथ बदलता रहा है। जब 1970 के दशक के अंत में संवृद्धि दर में सुधार होने लगा तो यह नकद जीडीपी अनुपात भी ऊपर की ओर उठने लगा। वर्ष 2000-2010 में जब संवृद्धि में उफान आया तो इस अनुपात की वृद्धि भी त्वरित दर से होती दिखी। वर्ष 2010 के आसपास स्फीति की दर उच्च रही और उस समय यह अनुपात कुछ कम हो गया था, किंतु 2014-15 के बाद स्फीति दर में गिरावट के बाद यह अनुपात पुनः 12 प्रतिशत पर पहुँच गया। उच्चमान के करेंसी नोटों (₹ 500 तथा ₹ 1000) के मूल्य और जीडीपी का अनुपात भी जीवन स्तर के उन्नयन के साथ-साथ ऊपर उठता रहा है। दूसरे, भारत की अर्थव्यवस्था, भले ही यह एक अपेक्षाकृत गरीब देश माना जाता हो, किसी सीमा तक अधिक नकदी पर निर्भर रहती है।

-----X-----

परिचय

विमुद्रीकरण एक क्रांतिकारी एवं अप्रत्याशित कदम है, इसकी अल्पकालिक लागतें हैं, किन्तु दीर्घकालिक लाभ भी हैं। सरकार ने नवंबर 8, 2016 की शाम अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर निहितार्थों से भरी एक ऐतिहासिक घोषणा की। तुरन्त प्रभाव से, कुछ एक कार्यों को छोड़कर, दो उच्चतम मूल्य के ₹. 500/और ₹. 1000 नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया गया। ये नोट अब विधिमान्य करेंसी नहीं रहे। एक झटके में अर्थव्यवस्था के परिचलन की 86 प्रतिशत मुद्रा अवैध घोषित हो गई। ये नोट दिसंबर 30, 2016 तक बैंकों में जमा कराए जाने थे। दूसरे शब्दों में, आन्तरिक मुद्रा और बैंक जमाओं की परिवर्तनशीलता पर रुकावटें लागू कर दी गईं। इस कदम के चार उद्देश्य थे:- भ्रष्टाचार पर अंकुश, नकली नोटों की छपाई पर लगाम, आतंकवादियों द्वारा इन उच्च मूल्य नोटों का प्रयोग, और विशेष कर कालाधन संचित करने पर रोक। यह कदम उक्त गैरकानूनी कामों को रोकने के लिए उठाए गए अनेक कदमों के बाद उठाया गया था। ये कदम थे बजट 2014 द्वारा विशेष अन्वेषण दल का गठन, कालाधन और कर अधिनियम,

2015: बेनामी लेनदेन अधिनियम, 2016, स्विट्जरलैंड से जानकारी सांझा करने का समझौता, मॉरीशस, साइप्रस और सिंगापुर के साथ कर संधियों में परिवर्तन तथा अघोषित आय की घोषणा योजना। विमुद्रीकरण एक व्यवस्था परिवर्तन का संकेत देने वाला कदम है। यह गैरकानूनी कार्यों तथा उनसे संबंधित धन अर्जन को दंडित करने की सरकार की प्रतिबद्धता की घोषणा थी। साथ ही जिन विधि संगत कार्यों को अभी तक सरकार से छिपाया जा रहा था, उन्हें भी स्थायी रूप से और दंड भरने के साथ घोषित करने का आव्हान था। विश्व के आर्थिक इतिहास में भारत की विमुद्रीकरण की घोषणा अप्रत्याशित रही, इसमें सामान्यप्रायः राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद गोपनीयता और आक्समिकता का समावेश रहा। अभी तक सभी विमुद्रीकरण अचानक, किन्तु अतिशय स्फीति, युद्ध, राजनीतिक संकट या अन्य इसी प्रकार की अति पराकाष्ठापूर्ण परिस्थितियों में हुए हैं। किंतु भारतीय अर्थव्यवस्था तो स्थिरतापूर्ण समष्टि स्तरीय अर्थ और प्रभावी प्रभावशाली सुधार कार्यों के लागू किए जाने के आधार पर विश्व की तीव्रतम दर पर संवृद्धि कर रही थी। ऐसी सामान्य परिस्थितियों में यदि विमुद्रीकरण

करते भी हैं तो वह यूरोप की भाँति धीमे-धीमे कदमों में किया जाता है।

भारत का यह कदम इसके अपने इतिहास की दृष्टि से अभूतपूर्व नहीं है: पहले भी दो बार, 1946 और 1970 में विमुद्रीकरण किए गए हैं, किन्तु 1970 के कदम का नकदी की सफलभता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। किन्तु अभी उठाए गए कदम बहुत बड़े, किन्तु अस्थायी करेंसी प्रभाव रहे हैं। वर्ष 2016-17 के लिए यह परिवर्तन पिछले वर्ष की तुलना में मात्र 1.2 प्रतिशत (ऋणात्मक) रहेगा। यह पिछली चार मुद्रा की कटौती की घटनाओं से 2 प्रतिशत अंकों से अधिक कम है। उन घटनाओं की औसत करेंसी कटौती लगभग 3.3 प्रतिशत थी।

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से अनेक विकसित देशों ने मौद्रिक नीति का प्रयोग संवृद्धि प्रोत्साहन के लिए किया है, यह क्रम ऋणात्मक ब्याज की दरों तथा हेलीकॉप्टर द्वारा नोटों की वर्षा जैसी अचिन्त्य नीतियों तक चला गया है। भारत के कदम ने तो गैर परंपरागत मौद्रिक नीति को एक नया ही स्वरूप प्रदान कर दिया है। विकसित देश तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करने में जुटे थे, किंतु भारत ने तो उसे घटा दिया है। इस नीति को एक विपरीत हेलीकॉप्टर करेंसी वर्षा का नाम दिया जा सकता है। संभवतः हेलीकॉप्टर द्वारा अवशोषण अधिक उपयुक्त शब्द होगा। विमुद्रीकरण पर लोक विमर्श में तीन प्रकार के प्रश्न समूह उठाए गए हैं। पहले समूह में इस कदम को लागू करने में निहित रचना एवं कार्यविधि से जुड़ प्रबंधन विषयक प्रश्न हैं। दूसरे प्रश्न अल्प एवं मध्यकालिक आर्थिक प्रभावों से संबंधित हैं, और तीसरे प्रश्न भविष्य में आर्थिक नीतियों के संचलन के आधारिक बृहतर जीवन दर्शन के प्रति निहितार्थों से जुड़े हैं।

विमुद्रीकरण एक अनुठा कदम है, यह पिछली व्यवस्था से एक संरचनात्मक विलगाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसका अर्थ है कि इसके प्रभावों का पूर्वकलन कर पाना एक जोखिम भरा काम होगा। अतः आगामी चर्चा, विशेषकर परिमाण निर्धारण के प्रयासों को निश्चयत्मक नहीं, किंचित अनुमानात्मक ही मानना चाहिए। इतिहास के फैसला, जब भी वह समय के धू-धलके, को चीरता हुआ आएगा, आज के निष्कर्ष निदानवादों को अचंभित कर सकता है। सबसे पहले तो भारत में नकद जीडीपी अनुपात का विकास क्रम दो सोपानों में हुआ है। पहले डेढ़ दशकों में (1952-53 से 1967-68 तक) यह लगभग 12 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत के आसपास रह गया था। उसके बाद से यह अनुपात अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर के साथ-साथ बदलता रहा है। जब 1970 के दशक के अंत में संवृद्धि दर में सुधार होने लगा तो यह नकद जीडीपी अनुपात भी ऊपर की ओर उठने लगा। वर्ष 2000-2010 में जब संवृद्धि में उफान आया तो इस अनुपात की

वृद्धि भी त्वरित दर से होती दिखी। वर्ष 2010 के आसपास स्फीति की दर उच्च रही और उस समय यह अनुपात कुछ कम हो गया था, किंतु 2014-15 के बाद स्फीति दर में गिरावट के बाद यह अनुपात पुनः 12 प्रतिशत पर पहुँच गया। उच्चमान के करेंसी नोटों (रु. 500 तथा रु. 1000) के मूल्य और जीडीपी का अनुपात भी जीवन स्तर के उन्नयन के साथ-साथ ऊपर उठता रहा है। दूसरे, भारत की अर्थव्यवस्था, भले ही यह एक अपेक्षाकृत गरीब देश माना जाता हो, किसी सीमा तक अधिक नकदी पर निर्भर रहती है।

विमुद्रीकरण को सरकार द्वारा व्यवस्था परिवर्तन भी कहा जा सकता है। यह कालेधन पर आघात के सरकारी निश्चय का प्रतीक एवं प्रमाण है, यह दिखाता है कि अब करवंचना को जीवन की एक जरूरी विवशता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस कदम को जनता का व्यापक समर्थन मिला है। अतः स्पष्ट है कि समाज का जनसामान्य भी कालेधन को सहन करने के लिए तैयार नहीं है।

विमुद्रीकरण एक अन्य प्रकार से भी कर प्रशासन की सहायता कर सकता है। यह लेनदेन को नकद तंत्र से औपचारिक भुगतान तंत्र की ओर उन्मुख कर सकता है। बड़े नोट बंद होने पर परिवार और फर्म अब नकदी को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तकनीकों का अधिक प्रयोग करने लगे हैं। परिणाम स्वरूप कर जीडीपी अनुपात और औपचारिक अर्थव्यवस्था में स्थायी वृद्धि हो सकती है। कर वंचना के अतिरिक्त भी विमुद्रीकरण के बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह बचतों को औपचारिक वित्त व्यवस्था में प्रवाहित करेगा। निःसंदेह, बैंकों में जमा कराई गई अधिकांश नकदी जैसे ही नोटों की आपूर्ति में सुधार होने पर आहरण की सीमा बढ़ाई जाएगी, निकाल ली जाएगी। किन्तु इन जमाओं का कुछ अंश अवश्य बैंक खातों में ही जमा रह जाएगा। यह अंश बैंकों द्वारा अधिक साख मुद्रा (उधार) प्रदान करने का आधार बनेगा, वह भी अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर। दीर्घकालिक रूप से, यदि विमुद्रीकरण सफल रहा तो यह अर्थव्यवस्था में नकद जीडीपी और नकद जमा अनुपातों को कम कर देगा। इससे वित्तीय बचतों की वृद्धि होगी और उसका दीर्घकालिक संवृद्धि पर एक सकारात्मक प्रभाव होगा। दीर्घकालिक परिवर्तनों के दिशा एवं परिमाण का सटीक निर्धारण करने के लिए तो अभी, परिभाषा के अनुसार ही, पर्याप्त समय व्यतीत नहीं हुआ है। गैर कानूनी लेनदेन, कालेधन और वित्तीय बचतों पर इस विमुद्रीकरण का सही प्रभाव जानने में तो कई वर्ष लग जाएंगे। फिर भी कुछ संकेत उभर रहे हैं जो परिवर्तन के सूचक हैं।

विमुद्रीकरण का एक मध्यकालिक उद्देश्य नकदहीन या नकदक्षीण अर्थव्यवस्था की रचना कर अधिक बचतों को औपचारिक वित्त व्यवस्था में प्रवाहित करना और कर अनुपालन के स्तर को सुधारना था। अभी तो भारत इस उद्देश्य की संपूर्ति से बहुत दूर है। वटाल समिति ने अभी अनुमान लगाया है कि उपभोक्ता वर्ग द्वारा किए जा रहे 78 प्रतिशत भुगतान तो नकद राशियों में होते हैं। प्राईस वाटर हाउस कूपर्स की 2015 की रिपोर्ट ने भी कहा था कि भारत में उपभोक्ताओं के लेनदेन में अन्य देशों की तुलना में नकदी की भारी प्रबलता है। यह मूल्यानुसार 68 प्रतिशत है तो संख्यानुसार 98 प्रतिशत। इस स्थिति के कई कारण हैं। नकदी के कई फायदे होते हैं: यह सुविधाजनक है, प्रत्येक स्थान पर स्वीकार्य है और इसका प्रयोग भले ही समाज के लिए लागतहीन नहीं हो किन्तु जन सामान्य के लिए तो इसकी लागत शून्य ही होती है। नकद लेनदेन में किसी का नाम नहीं आता, गोपनीयता बनी रहती है। जब तक यह लेनदेन गैरकानूनी या करवंचना के ध्येय से नहीं हो, ये दोनों ही बातें सद्लक्षण होती हैं।

इसके विपरीत डिजिटल लेनदेन में कई बाधाएँ उपस्थित रहती हैं। इनके लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता को सैलफोन तो विक्रेता को विक्रय-बिन्दु मशीन चाहिए। ये दोनों उपकरण तभी काम करेंगे जब इंटरनेट से संपर्क हो। ये भुगतान विधि लागत भरी भी है, क्योंकि ई-भुगतान फर्मों को अपनी लागतें पूरी करने के लिए भुगतान सेवा ग्राहकों-विक्रेताओं या दोनों पर भी शुल्क लगाने पड़ते हैं। हां, कुछ निर्विवाद सत्य इन बाधाओं की क्षतिपूर्ति भी कर देते हैं। डिजिटल लेनदेन जनता को आधुनिक फ़तार संपर्क युग से जोड़ देते हैं। वह जनता को औपचारिक वित्ततंत्र से जोड़कर सक्रिय वित्तीय बचत संकलन को बढ़ावा भी देता है। इससे कर वंचना कम होती है और कर-अनुपालक एवं कर वंचक फर्मों और व्यक्तियों के बीच की खाई कम हो जाती है।

गरीबजन, जो अभी तक पूरी तरह डिजिटल अर्थतंत्र से असंबंधित हैं, कम समृद्ध, जो जनधन खाता और त्नचंल कार्डों के माध्यम से डिजिटल अर्थतंत्र से जुड़ते जा रहे हैं, और धनी वर्ग जो पहले से ही अपने क्रेडिट-डेबिट कार्डों के माध्यम से पूरी तरह डिजिटल तंत्र से संबंधित है। इन तीन वर्गों के आकार की ओर संकेत करने वाला एक सरल सा सूचक सैलफोन का स्वामित्व है। देश में 350 मिलियन व्यक्ति सैलफोन से रहित हैं, 350 मिलियन के पास सामान्य फीचर फोन हैं, तथा 250 मिलियन के पास स्मार्ट फोन हैं। विमुद्रीकरण के बाद से सरकार ने जनता को डिजिटल अर्थतंत्र की ओर उन्मुख करने के लिए कई सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए हैं।

जीडीपी पर प्रभाव का आंकलन करने से पूर्व विमुद्रीकरण के नकदी की आपूर्ति पर प्रभाव का निर्धारण कर लेना आवश्यक है। अभी तक हो चुके प्रभावों का अनुमान लगा पाना भी सरल नहीं है, क्योंकि नवंबर 9 से दिसंबर 30, 2016 की अवधि में परिचलन में नकदी का प्रभावी स्तर बहुत सीमा तक इन बातों पर निर्भर था।

- अभी तक पुराने नोटों का प्रयोग लेनदेन के लिए चल रहा था।
- नए 2000 रूपए के नोट भी 'तरल' मुद्रा थे, व्यक्ति एवं फर्म उनसे लेनदेन कर सकते थे।
- नकदी, पुरानी या नई लौटाई नहीं जा रही थी।

इन सब मान्यताओं और सफल जानकारीयों के प्रयोग से हम नवंबर 8, 2016 से अप्रैल 2017 के अन्त की अवधि में मुद्रा के प्रभावी परिचलन का अनुमान लगा सकते हैं। ये अनुमान परम रूप में तथा संभावित विनिमय मांग के प्रतिशत अंश के रूप में आंकलित किए गए हैं। यह अंश आंकलन मौद्रिक जीडीपी और डिजिटलाइजेशन के स्तर में वृद्धि तथा नकद जमा अनुपात के संतुलन स्तर में कमी के आंकलन पर आधारित हैं।

यहाँ भविष्य में नकदी की विनिमय संबंधी कार्यों के लिए मांग में कमी आने की आशा की जा रही है। यह विनिमय मांग अनुमान ही है। प्रचारित आंकड़ों के अनुसार नवंबर 8, 2016 से मासांत तक नकदी में 62 प्रतिशत की कमी हो चुकी थी। दिसंबर 2016 के अन्त तक यह कमी संकुचित होकर 41 प्रतिशत रह गई थी। किन्तु इनके समतुल्य आंकड़े 25 प्रतिशत और 35 प्रतिशत ही हैं। दूसरे शब्दों में मुद्रा की प्रभावी आपूर्ति में कमी प्रचारित धारणा की अपेक्षा बहुत कम थी और विमुद्रीकरण के वास्तविक मौद्रिक शिखर की प्राप्ति (मनौवैज्ञानिक शिखर से भिन्न) तो नवंबर नहीं दिसंबर 2016 में हो पायी थी। प्रभावी आपूर्ति के आंकड़े यह बता रहे हैं कि अब मुद्रा की कमी बड़ी तेजी से समाप्त हो रही है। दिसंबर, 2016 के अंत में प्रभावी मुद्रा कुल मांग के 65 प्रतिशत के समान थी, किन्तु फरवरी 2017 के अंत तक इसके विनिमय मांग के 86 प्रतिशत तक पहुँच जाने की आशा है। इन अनुमानों से हम मुद्रा की विनिमय मांग से संबंधित दो प्रकार के मौद्रिक समकों तक पहुँच जाते हैं जो हमें जीडीपी संवृद्धि पर पहुँचने में सहायक हैं। यह हैं परिचलन में नकदी और परिचलन में मुद्रा। यह माना जा रहा है कि प्रत्येक मास में मांग जमाओं की वृद्धि नए नोटों की निकासी तथा ऋण

भुगतान के समंजन बाद पुराने नोटों में जमा कराई गई राशियों के समान है।

जीडीपी पर प्रभाव:-

औपचारिक एवं अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं में भेद करना भी आवश्यक है। स्पष्टतः नकदी के अभाव का अनौपचारिक अर्थतंत्र पर प्रभाव अवश्य पड़ा है। यह अपने संचलन के लिए मुख्यतः नकदी पर निर्भर क्षेत्र अर्थव्यवस्था के आधे भाग के समान माना जाता है। यदि उपभोक्ता की अपने भुगतान में नकदी प्रयोग की प्रवृत्तियों पर ध्यान दें तो यह अद्र्धांश का अनुमान बहुत निम्न भी सिद्ध हो सकता है, फिर तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की नकदी की सफलभता पर निर्भरता और अधिक हो सकती है। यह भी इतना ही स्पष्ट है कि बैंक व्यवस्था पर निर्भर रहने वाले औपचारिक आर्थिक तंत्र पर विमुद्रीकरण का कोई प्रभाव नहीं हुआ होगा। वहां तो तरलता में और वृद्धि हो गई है। अतः दोनों क्षेत्रों पर पृथक-पृथक विचार करना ही उपयुक्त होगा। यह मानकर चलना उचित है कि नकदी के अभाव का प्रभाव केवल अनौपचारिक क्षेत्र पर पड़ा था, औपचारिक तंत्र इससे मुक्त प्रायः ही रहा। अनौपचारिक क्षेत्र में मंदी के कारण अपना रोजगार खो बैठे कर्मियों ने दुपहिया वाहनों जैसे औपचारिक क्षेत्रीय उत्पादों की अपनी खरीदारी एक बार तो रोक ही दी थी। यह भी संभव है कि कुछ अनौपचारिक क्षेत्र व्यापारी, किराने वाले आदि विक्रय बिन्दु उपकरण लगाकर औपचारिक बैंक व्यवस्था के साथ जुड़ गए हों। साथ ही अनौपचारिक क्षेत्र में अस्थाई रूप से ही सही कुछ उधार देना भी आरंभ हो गया। नियमित ग्राहकों को किराने वाले एवं अन्य छोटे दुकानदार यह कहने लगे थे कि आप कल परसों जब सुविधा हो, भुगतान कर दीजिए। अप्रत्यक्ष मांग और डिजिटलाइजेशन के साख के प्रभाव हमें विपरीत दिशाओं में खींचते हैं। पहला नकदी के अभाव के प्रभाव को और गहरा कर देता है तो दूसरा उसे कुछ कम कर देता है। हमने दो परिदृश्यों की कल्पना की है और उनके लिए अर्थव्यवस्था की नकद गहनता तथा उसमें नवंबर 8 से मार्च 2017 के अंत तक होने वाले परिवर्तन विषयक पृथक-पृथक मान्यताएं बनाई थी।

निष्कर्ष

भारत का यह कदम इसके अपने इतिहास की दृष्टि से अभूतपूर्व नहीं है: पहले भी दो बार, 1946 और 1970 में विमुद्रीकरण किए गए हैं, किन्तु 1970 के कदम का नकदी की सफलभता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। किन्तु अभी उठाए गए कदम बहुत बड़े, किन्तु अस्थाई करेंसी प्रभाव रहे हैं। वर्ष 2016-17 के लिए यह परिवर्तन पिछले वर्ष की तुलना में मात्र 1.2 प्रतिशत

(ऋणात्मक) रहेगा। यह पिछली चार मुद्रा की कटौती की घटनाओं से 2 प्रतिशत अंकों से अधिक कम है। उन घटनाओं की औसत करेंसी कटौती लगभग 3.3 प्रतिशत थी।

संदर्भ स्रोत:-

1. अमर उजाला, समाचार पत्र, 16 नवम्बर, 2016, पृ. 12.
2. दैनिक भास्कर, समाचार पत्र, जनवरी 2017, पृ. 13.
3. द टाइम्स ऑफ़ इंडिया, दिसम्बर, 2016, पृ. 13.
4. हिन्दुस्तान, समाचार पत्र, 19 नवम्बर, 2016, पृ. 1.
5. कुरुक्षेत्र, दिसम्बर, 2016, पृ. 34
6. योजना, फरवरी 2017, पृ. 42

Corresponding Author

Dr. Lal Kumar Shah*

Gram & Post – Marukiya, Thana – Andharathadi,
District-Madhubani